"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मई 2013—वैशाख 16, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक-एफ-2-19/2013/सात-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन"
(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा एवं पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा			
1.		शीघ्रलेखक वर्ग-दो	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/या शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से :— (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमश: 100 शब्द प्रतिमिनट की गति एवं 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से उत्तीर्ण. (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमश: 100 शब्द प्रतिमिनट की गति एवं 35 शब्द प्रतिमिनट की गति से उत्तीर्ण. (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण.
					3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए.
2.		निम्न श्रेणी लिपिक	18 वर्ष	30 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटाएन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र उत्तीर्ण. 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटाएन्ट्री की गति होनी चाहिये.
3.		स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	—तदैव—	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण अथवा स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से कम्प्यूटर हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति. 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटाएन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटाएन्ट्री की गति होनी चाहिए.

Raipur, the 6th May 2013

NOTIFICATION

No. F-2-19/Seven-2/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Revenue (Class-III Ministerial) Services Recruitment Rules, 1985, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III"
(See Rule 8)

S. No.	Name of Department	Name of Service and Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Revenue and Disaster Management	C.G. Revenue (Class-III Ministerial) Service			
1.		Stenographer Grade-II	18 Years	30 Years (35 Years for domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Passed Higher Secondary Examination or 10+2 or passed 1st year graduation course from any recognized Board/ University. 2. From any recognized Board/Institution or Stenography and Typing Council :— (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer. 3. Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 Key Depression per hour in data entry.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.		Lower Division Clerk	18 Years	30 Years (35 Years for domicile resident of Chhattisgarh State)	1. Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University. 2. Passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from and recognized institute. 3. Should have speed of dataentry 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.
3.		Steno Typist	18 Years	—do—	1. Passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University. 2. Passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25 wpm alongwith speed of 60 wpm in Stenography from any recognized Board/ Institute, and 3. One year Diploma/Certificate in Data entry Operator/Programming from any recognized Institute and should have speed of data entry 5000 key depression per hour."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.